



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235432
CG-DL-E-29042022-235432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944

No. 232]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

गांधीनगर, 27 अप्रैल, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2022-23/जी.एन./023.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 13 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित, प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक आई.एफ.एस.सी.ए./2022-23/जी.एन./023, तारीख 12 अप्रैल, 2022 के प्रथम पैराग्राफ में, "निम्नलिखित को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट करता है" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित उपस्कर की बाबत किसी प्रचालन पट्टे को, जिसके अंतर्गत प्रचालन और वित्तीय पट्टे का कोई हाइब्रिड भी है, वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट करता है" शब्द पढ़े जाएं।

2. यह शुद्धिपत्र, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./56/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**CORRIGENDUM**

Gandhinagar, the 27th April, 2022

IFSCA/2022-23/GN/023.—In the notification number IFSCA/2022-23/GN/023- dated the 12th April, 2022 issued by the Authority, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 13th April, 2022, the words “*specifies the following as a financial product under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act*” in the first paragraph, shall be read as “*specifies an operating lease, including an hybrid of operating and financial lease, in respect of the following equipment, as financial product*”:

2. This Corrigendum shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADV.T.-III/4/Exty./56/2022-23]